

नियत की जाती हैं।

4/23

पत्रावली पेश हुई। प्राची व वकील प्राची  
अनुपस्थित। बार-बार आवाज लगावायी  
गयी। आवाज लगावने के उपरान्त भी प्राची  
की ओर ले कोई उपस्थित नहीं आया। अतः  
प्राची का प्राचीन पत्र अदम हाजरी अदम  
पत्रों में खातीज किया जाता है। पत्रावली  
फोनल शुमार होकर नम्बर से कर होकर  
दफ्तर दाखिल हो।



राजवीर सिंह यादव  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (सीकर)